# झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड

**CIN U40108 JH2013 SGC 001603**
निगम कार्यालय : *अभियंत्रण भवन, एच०ई०सी०, धुर्वा, राँची–4*
**(कार्मिक विभाग)**

पत्रांक ........................................ दिनांक................................

संचिका संख्या–V/JUVNL/ कार्मिक/विविध/नीति–916/2022

प्रेषक:

सुनील दत्त खाखा झा०प्र०से०,
महाप्रबन्धक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन)।

सेवा में,

महाप्रबन्धक (मानव संसाधन)
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन)
झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड
महाप्रबन्धक (मानव संसाधन/ प्रशासन)
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा),
झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा),
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा),
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा),
झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड
उप महाप्रबन्धक–सह–सम्पर्क पदाधिकारी
सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली
उप महाप्रबन्धक (मा0 सं0/प्र0)
झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड
उप महाप्रबन्धक (मानव संसाधन)
झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड/
झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड /
झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड।

ई–मेल

**विषयः** **झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 181, ज्ञापांक 182, दिनांक 30.01.2023 के आलोक में पुरानी पेंशन योजना के कियान्वयन के संबंध में।**

प्रसंगः झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का अधिसूचना संख्या 181 दिनांक 30.01.2023.

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के क्रम में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड की अधिसूचना संख्या 181, ज्ञापांक 182, दिनांक 30.01.2023 के कंडिका **'घ'** के आलोक में पुरानी पेंशन योजना के कियान्वयन के निमित्त Standard Operating Procedure (SOP) विकसित किये जाने के लिए कार्यालय आदेश संख्या 185 दिनांक 08.02.2023 के द्वारा गठित समिति द्वारा समर्पित अंतरिम अनुशंसा के आलोक में **एन0पी0एस0** से आच्छादित कर्मियों द्वारा पुरानी पेंशन योजना स्वीकार करने या नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करने हेतु अपनाए जानेवाली प्रक्रिया निम्नवत होगी :—

**<u>1. कर्मियों द्वारा किये जाने वाले कार्य</u>**

I. पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले निगमकर्मी शपथ पत्र के विहित प्रारूप (अनुलग्नक—1) में शपथ पत्र तैयार कर इसकी मूल प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त निगम के कर्मी के मामले में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के उप महाप्रबंधक (मा०सं०) के समक्ष जमा करेंगे।

II. पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चयन करने वाले कर्मी इसके साथ ही भविष्य निधि संख्या आवंटन हेतु आवेदन एवं Nomination Form को भरेंगे एवं स्वहस्ताक्षरित करके निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त निगमकर्मी के मामले में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के नोडल पदाधिकारी {उप महाप्रबंधक (मा०सं०)} के समक्ष जमा करेंगे।

III. नई अंशदायी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करने वाले निगमकर्मी शपथ पत्र प्रारूप अनुलग्नक—2 विहित प्रारूप में शपथ पत्र तैयार कर इसकी मूल प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ बाह्य सेवा में प्रतिनियुक्त निगमकर्मी के मामले में झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के नोडल पदाधिकारी {उप महाप्रबंधक (मा०सं०)} के समक्ष जमा करेंगे।

**<u>2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किये जाने वाले कार्य</u>**

I. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/ झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के नोडल पदाधिकारी {उप महाप्रबंधक (मा०सं०)} पुरानी पेंशन योजना का विकल्प का चयन करने वाले कर्मी के द्वारा दिये गये भविष्य निधि संख्या आवंटन हेतु आवेदन एवं Nomination Form को भविष्य निधि कार्यालय यथा निगम मुख्यालय, आपूर्ति क्षेत्र, संचरण प्रक्षेत्र, संचरण अंचल आदि भेजने के दौरान दोहराव से बचने हेतु अनुरोध अग्रसारित करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कर्मचारी का प्रोफाईल विवरण जैसे नाम, जन्म तिथि, नियुक्ति की तिथि, पैन नं०, आधार नं० इत्यादि अद्यतन कर लिया गया है।

II. शपथ पत्र समर्पित करने वाले कर्मचारियों की सूची संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी के समक्ष उपलब्ध रहेगी एवं उसकी एक प्रति उनके द्वारा संबंधित मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

III. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उक्त सूची से पुरानी पेंशन योजना का विकल्प का चयन करने वाले एक–एक कर्मचारी को जी०पी०एफ० संख्या आवंटित करने संबंधी आवेदन एवं Nomination Form को संबंधित भविष्य निधि कार्यालय यथा निगम मुख्यालय, आपूर्ति क्षेत्र, संचरण प्रक्षेत्र, संचरण अंचल आदि को अग्रसारित करेंगे।

IV. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नई पेंशन योजना में बने रहने वाले कर्मियों की सूची संबंधित भविष्य निधि कार्यालय एवं उप महाप्रबंधक (मा०सं०), निगम मुख्यालय को अग्रसारित करेंगे।

**<u>3. कार्मिक/मानव संसाधन कार्यालय द्वारा किये जाने वाले कार्य</u>**

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा कर्मियों के द्वारा दी गई अनुलग्नक–1 या अनुलग्नक–2 की छायाप्रति कर्मियों के स्थापना से संबंधित विभाग/कार्यालय को दिया जायेगा, जिसे संबंधित कर्मियों के सेवा पुस्ति में संधारित करते हुए अद्यतन प्रविष्टि करने की कार्रवाई संबंधित कार्यालय के कार्मिक/मानव संशाधन शाखा द्वारा किया जायेगा।

**<u>4. भविष्य निधि कार्यालय द्वारा किये जानेवाले कार्य</u>**

संबंधित भविष्य निधि कार्यालय, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अग्रसारित आवेदन का संधारण करते हुए पुराने पेंशन हेतु आवेदन देने वालों के लिए नया GPF Account No. जेनेरेट करेंगे।

5. माह फरवरी एवं मार्च इन्कम टैक्स एवं त्योहार की अवधि के कारण कर्मियों का वेतन भुगतान ससमय होना आवश्यक है। इस विषय में सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.12.2004 एवं उसके पश्चात् नियुक्त कर्मियों, जो वर्तमान में नई पेंशन योजना से आच्छादित हैं, उनके द्वारा विकल्प देने के आधार पर जी०पी०एफ० संख्या आंवटित होने तक की अवधि के बीच, उनके वेतन से किसी भी प्रकार का एन०पी०एस०/ जी०पी०एफ० कटौती किये बिना माह फरवरी 2023 तथा मार्च 2023 का वेतन भुगतान किया जाय। वैसे कर्मी जो नयी पेंशन योजना में बने रहने का विकल्प चयन करेंगे, उनके द्वारा विकल्प देने के पश्चात् एन०पी०एस० कटौती की जा सकती है।

**6. <u>विकल्प चयन की अंतिम तिथि</u>**

पुरानी पेंशन योजना (OPS)/नई अंशदायी पेंशन योजना (NPS) चयन करने वाले निगम कर्मी अपना विकल्प **दिनांक 10.03.2023 (शुक्रवार)** तक समर्पित करना सुनिश्चित करेंगें।

**इस पर अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।**

अनुलग्नक : यथोपरि।

विश्वासभाजन्

ह0/–

( सुनील दत्त खाखा )

महाप्रबन्धक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन)

ज्ञापांक.........................................        दिनांक...............................

प्रतिलिपिः विशेष पदाधिकारी, अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक प्रकोष्ठ/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड के तकनीकी सचिव/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के तकनीकी सचिव/ प्रबन्ध निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के निजी सहायक/ निदेशक (प्रोजेक्ट), झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड/सभी कार्यकारी निदेशक/सभी महाप्रबंधक/ सभी महा प्रबंधक (मा0स0)/सभी महाप्रबंधक(वित्त एंव लेखा)/ पुलिस महानिदेशक (निगरानी एवं सुरक्षा) के निजी सहायक/ महाप्रबन्धक (कार्मिक सह सामान्य प्रशासन) के निजी सहायक/ वरीय विधि परामर्शी सह अपर सचिव/ सभी उप महाप्रबंधक /सभी उप महाप्रबंधक (मा0स0)/ सभी उप महा प्रबंधक (वित्त एव लेखा)/ उप महाप्रबन्धक (कार्मिक)/सभी वरीय प्रबंधक (मा0 सं0/प्र0)/(विधि)/विधि पदाधिकारी /सभी प्रबन्धक (मा0 सं0/प्र0)/(वित्त एवं लेखा)/ सभी कम्पनी सचिव/सभी कनीय प्रबन्धक, झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं उसके अनुषंगी कम्पनी, निगम मुख्यालय, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

<u>अनुलग्नकः</u> <u>यथोपरि</u>।

ह0/–

(सुनील दत्त खाखा)

महाप्रबन्धक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन)

ज्ञापांक.........80.........        दिनांक....24/02/2023....

प्रतिलिपि सभी महाप्रबन्धक, विद्युत आपूर्ति क्षेत्र/ संचरण प्रक्षेत्र/ उप महाप्रबन्धक, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना, सिकिदिरी/ प्रशासक (शेष परिसम्पति), पतरातू वाष्प शक्ति प्रतिष्ठान, पतरातू/ सभी उप महाप्रबन्धक, विद्युत आपूर्ति अंचल/ संचरण अंचल/ सभी वरीय प्रबन्धक, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल/ संचरण प्रमंडल/ सभी उप महाप्रबंधक (वित्त एवं लेखा)/सभी वरीय प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/सभी वरीय प्रबन्धक (मा0 सं0/प्र0)/ सभी प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)/ (मा0 सं0/प्र0) आपूर्ति अंचल/संचरण अंचल/ सभी प्रबन्धक/ सभी कनीय प्रबन्धक/सभी कनीय प्रबन्धक (मा0 सं0/प्र0), झारखण्ड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड एवं अनुषंगी कम्पनियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रसारित।

ई–मेल

<u>अनुलग्नकः</u> <u>यथोपरि</u>।

24.2.2023

(सुनील दत्त खाखा)

महाप्रबन्धक (कार्मिक–सह–सामान्य प्रशासन)